

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर
सी-ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.), फोन : 0141-2229737

क्रमांक : 1359

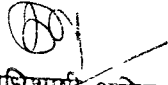
दिनांक : 17/9/19

निदेशक,
जनसम्पर्क निदेशालय,
राज0 जयपुर।

विषय:- ई-निविदा सूचना - 30/2019-20 प्रकाशित कराने के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निविदा नोट (समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत) की सात प्रतियाँ व विस्तृत निविदा (DIPR की वेब साईट पर अपलोड करने बाबत) की दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रकाशित कराने हेतु भिजवाई जा रही हैं। उक्त विज्ञापन को न्यूनतम स्पेस में एक बार राज्य सरकार के वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन नियमों अनुसार प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

प्रकाशन की सूचना एवं बिल तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करावें।
संलग्न: उपरोक्तानुसार


अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर
दिनांक:-

क्रमांक:

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर द्वितीय।
3. अधिशाषी अभियंता (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
4. सहायक अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर/विद्युत को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथियों को निविदा अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस बोर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. कन्सलटेंट आई.टी., एन. आर. एच. एम. जयपुर को विभागिय वेब साईट पर लोड करने बाबत।

1. UBN.No:- NRH1920 WS0B00836
2. UBN.No:- NRH1920 WS0B00837

अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर

(समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत)

राजस्थान सरकार

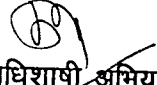
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर
सी-ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज), फोन : 0141-2229737

क्रमांक : 1359

दिनांक : 17/9/19

ई-निविदा सूचना संख्या: 30/2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर रु. 86.25 लाख के 2 विद्युतीकरण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग/ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.Org, www.sppp raj.nic.in, <http://eproc.rajesthan.gov.in> व विभागीय वेब साईट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।


अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
खण्ड प्रथम, जयपुर

1. UBN.No.- NRH1920WS0B00836
2. UBN.No.- NRH1920WS0B00837

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर
सी-ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.), फोन : 0141-2229737

क्रमांक : 1359

दिनांक : 17/9/19

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना - 30/2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर निविदा मय तीन वर्ष का दोष निवारण (डिफेक्ट लाइबिलिटी) अवधि के साथ उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पजीकृत अनुमती सवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी के सवेदकों के समकक्ष हों, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं।

क. स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क (रु. में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि
1	Electrical work in the Construction of CHC Samod, Distt. Jaipur.	59.55	119100.00	1000 00	9 माह
2	Electrical work in the Construction work of 4 Nos. 25 bedded ward (Phase-II) & Construction of One Room for O.T. & One Labour Room at SDH-BDM Kotputli, Distt. Jaipur.	26.70	53400.00	500 00	9 माह

निविदा प्रपत्रों को वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराए।

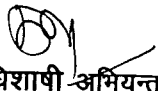
(अ) विद्युतीकरण कार्य हेतु

किसी भी सीमा तक	E-XY I
रुपये 25 लाख तक	E-XY II
रुपये 10 लाख तक .	E-XY III
रुपये 5 लाख तक .	E-XY IV

- सवेदक के पास इलेक्ट्रीकल इन्स्पेक्टर राजस्थान का 'अ' श्रेणी का विद्युत ठेकेदार का लाइसेंस अथवा किसी राज्य या केन्द्र के इलेक्ट्रीकल इन्स्पेक्टर का समकक्ष विद्युत लाइसेंस होना अनिवार्य है।
 - यदि सवेदक सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के अतिरिक्त CPWD में या अन्य किसी राजकीय विभाग में रजिस्टर्ड है तो उसके पास संबंधित कार्य का 50 प्रतिशत की राशि का सफलतापूर्वक समान एकल कार्य का पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- वित्त विभाग के आदेश सख्या एफ.1(1)एफ डी/जी.एफ.एण्ड एआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं 19/2011) के अनुसार 50 00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50 00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।
 - धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के नाम देय होगा।
 - निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा :-
- अ निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक बुधवार 25 सितम्बर 2019 समय प्रातः 9:00 बजे से सोमवार 7 अक्टूबर 2019 सांय 6.00 बजे तक होगी।
- ब निविदा शुल्क/धरोहर राशि/आरआईएसएल के पक्ष में देय शुल्क/अन्य दस्तावेज अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में बुधवार 9 अक्टूबर 2019 अपराह्न 1 00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।

- स निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर सोमवार 7 अक्टूबर 2019, सांय 6.00 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदाये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के कार्यालय में दिनांक बुधवार 9 अक्टूबर 2019 को अपराह्न 3.00 बजे से खोली जायेगी।
- द निविदा प्रपत्र अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर कार्यालय में सवेदक द्वारा कार्यालय समय में बुधवार 25 सितम्बर 2019 समय प्रातः 9:00 बजे से सोमवार 7 अक्टूबर 2019 सांय 6.00 बजे तक देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरो का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
- 4 निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5 यदि सवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बन्धित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- 6 राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इजीनियर अथवा इजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक सवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि सवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा सवेदक के पहा सेवाएँ लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
- 7 निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
- 8 किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित हैं। अतः पी डब्ल्यू-100 की समस्त शर्तें मान्य होंगी।
- 9 सवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी/शटरिंग जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित हैं, को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- 10 कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।
- 11 कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् राज्य सरकार के नियमानुसार रहेगा।
- 12 ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश
अ इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट "<http://www.eproc.rajabasthan.gov.in>" से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
- ब निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट "<http://www.eproc.rajabasthan.gov.in>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- स निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- द ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।
- य इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
- र कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ल टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन दर्ज करें।
- 13 निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आरआईएसएल के पक्ष में देय शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं Permanent (REG 06) जीएसटी का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साईट <http://www.eproc.rajabasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आरआईएसएल के पक्ष में देय शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
- 14 निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग देय होंगे। अगर एक डिमांड ड्राफ्ट को एक से अधिक निविदा में अपलोड करना पाया गया तो निविदा दाता को इन सभी निविदाओं के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
- 15 "Appropriate action as per RTTP Act / Rules shall be taken against the bidders who will not deposit the draft of bid security / tender fee / RISL charges after uploading the bid on e-proc portal "
- यदि किसी कारणवश निविदा खोलने वाले दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को, किसी कारण वश यदि सारी निविदाएँ नहीं खोली जा सकती हैं तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएँ खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- पोस्ट क्वालिफिकेशन में रिसपोन्सिव निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना निविदादाताओं को ई-मेल से दी जायेगी। निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

1. UBN.No - NRH1920WS0B00836
2. UBN.No - NRH1920WS0B00837


अधिशाषी अभियंता
चि. एवं स्वा., खण्ड प्रथम
जयपुर